Vol. 7, Issue 4, January 2018 ISSN 2249-894X

REVIEW OF RESEARCH

An International Multidisciplinary Peer Reviewed & Refereed Journal

Impact Factor: 5.2331

UGC Approved Journal No. 48514

Chief Editors
Dr. Ashok Yakkaldevi
Ecaterina Patrascu
Kamani Perera

Associate Editors
Dr. T. Manichander
Sanjeev Kumar Mishra

REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2018

प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षाः भारतीय परिप्रेक्ष्य में

संगीता कुमारी
पी.एच.डी. शोध छात्रा समाजशास्त्र विभाग,
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर (केंद्रीय) विश्वविद्यालय लखनऊ।

सारांशः–
बालिका शिक्षा की स्थिति को बेहतर दिशा देने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही प्रयास किया जा रहा है। परन्तु संतोषजनक स्थिति प्राप्त नही हो सकी है। हमारे देश में सन् 1951 में महिलाओं में साक्षरता की दर 8.86% थी जो कि 2001 में बढ़कर 54.16% तथा 2011 में 65.46% हो गई, यह

संतोषजनक नहीं हैं। आज भी देश की 34.5ः महिलाएँ निरक्षर हैं जिसका प्रभाव देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकास पर पड़ता है। इस स्थिति को दूर करने के लिए यह परमावश्यक है कि बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता पर सर्वाधिक बल दिया जाए। सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि समस्त योजनाओं में शिक्षा योजना और शिक्षा योजना में स्त्री शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं आदिवासी बालिकाओं को जहॉ घर के काम काज के लिए स्कूल छुड़ा दिया जाता है। हमारे समाज के प्रौढ़ वग्र में यह धारणा बहुत गहराई तक समाई हुई है कि बालिकाओं का कार्य क्षेत्र घर की चहारदीवारी के अन्दर है। अतः उन्हें पढ़ने लिखने के स्थान पर घर के काम–काज करने चाहिए। यह धारणा बालिकाओं की शिक्षा में बहुत बड़ी बाधा है।

किसी समाज के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है शिक्षा। अंग्रेजों की दासता के दौरान भारत में बालिका शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था जिस कारण स्वतन्त्रता के समय भारतीय महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति बेहद दयनीय थी। इसलिए हमारे संविधान निर्माता ने बालिका शिक्षा के महत्व को समझते हुये संविधान में कई ऐसे प्रावधान किये जिनकी सहायता से भारतीय महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। भारत के संविधान में स्त्रियों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव न करते हुए उन्हें पुरुषों के समान ही बराबर के अधिकार दिये गए हैं। संविधान में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं से संबंधित अधिकार और प्रावधान दिये गए हैं। चाहे संविधान की प्रस्तावना की बात करें या फिर मौलिक अधिकारों की, चाहे बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हो या फिर अन्य सामान्य प्रावधानों की, महिलाओं के लिए हर जगह विशेष प्रावधान दिये गए हैं ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर देश के विकास में भागीदार बन सकें।

कुंजी शब्द–प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा, बालिका षिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न आयोग एवं कार्यक्रम, बालिका षिक्षा की स्थिति

प्रस्तावना–

भारत के संविधान ने अपने – अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक स्त्री व पुरुष को शासन के समक्ष – समान माना है, तथा सभी स्त्री – पुरुष नागरिकों को समानता व स्वतन्त्रता के अधिकार के साथ – साथ कई मूल अधिकार प्रदान किये हैं। वर्तमान परिस्थितियों के बदलते संदर्भ में यदि पुरुष की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो स्त्री की शिक्षा के महत्व को भी इन्कार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश और प्रजातंत्र में वर्ग–जाति व धर्म के आधार

पर किसी को भी शिक्षा – सुविधाओं से वांचित नहीं किया जा सकता। ये अधिकार सभी नागरिकों के लिए चाहे महिला हो या पुरुष सभी के लिए सुनिश्चित किये गये हैं। भारत के संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं, भी जो महिलाओं को विशेष रुप से प्राप्त है। जो निम्न अनुच्छदों के अन्तर्गत रखा गया है –

अनुच्छेद 14– इस अनुच्छेद में यह प्रावधानित है कि राज्य भारत के सभी नागरिकों को "कानून के समक्ष समानता" तथा कानून का समान संरक्षण देगा चाहे वह स्त्री हो या पुरुष।

अनुच्छेद 15– भारतीय संविधान में यह व्यवस्था स्पष्ट है कि महिला पुरुष दोनों को समानाधिकार प्रदान किया जाए अर्थात् राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच कोई विभेद नहीं करेगा।

अनुच्छेद 19– इस अनुच्छेद में दोनों को समान रुप से अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है।

अनुच्छेद 21– यह अनुचछेद स्त्री – पुरुष दोनों को प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार देने का उपबन्ध करता हैं।

अनुच्छेद 21(क)– 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया गया है।

अनुच्छेद 23– सर्वविदित है कि भारतीय समाज में महिलाओं का क्रय–विक्रय तथा बेगार सदियों से समाज का एक हिस्सा बन कर चले आ रहे हैं। इस व्यवस्था पर संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा काफी सीमा तक रोक लगाई है ताकि महिलाओं का शोषण रेाका जा सकें।

अनुच्छेद 24 – चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने या खान अथवा किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगाने का प्रतिषेध करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना हैं।

अनुच्छेद 45– राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 51(ए)– अनुच्छेद 51(क) में अनुच्छेद 51(ए) जोड़कर बच्चों को शिक्षा देना माता–पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया हैं।

अनुच्छेद 47– पोषण एवं स्वास्थ्य का अधिकार।

शिक्षा आयोग एवं कार्यक्रम–

देश में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए और सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई आयोगों, समितियों का गठन किया गया।

भारतीय शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा : देश में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए और सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा सन् 1986 ई0 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। शिक्षा नीति का भाग–4 तो लगभग पूरी तरह से बालिका शिक्षा को ही समर्पित था। इस भाग में बालिका शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित बातें कही गयी है :

- महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा
- प्रौढ़ शिक्षा में महिलाएँ
- महिला निरक्षरता दूर करने का प्रयास
- निरक्षरता उन्मूलन हेतु प्रतिबद्धता

भारत में लगभग प्रत्येक स्तर पर बालक और बालिकाओं में भेदभाव किया जाता है। चाहे घर हो या बाहर, समाज हो या राजनीति। हर जगह महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और तो और अभिभावक अपेन बालकों को तो स्कूल भेजना चाहते है लेकिन बालिकाओं की शिखा के प्रति वे उदासीन होते हैं। ग्रामीण अभिभावक तो आज भी मानते हैं कि बालिकाओं को तो आगे चल कर घर का कामकाज संभालना है इसलिए उन्हें शिक्षा देने से क्या लाभ ? शिक्षा नीति में इस मानसिकता को बदलने की बात कही गयी है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि भेदभाव न बरतने की नीति पर जोरदार तरीके से अमल किया जायेगा ताकि महिलाएँ भी व्यावसायिक शिक्षा में आकर आर्थिक उत्पादन में अपना योगदान दे सकें।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992) – इस नीति में प्रारम्भिक शिक्षा की नई दिशा में निम्नलिखित तीन पहलुओं पर बल दिया गया।

1.सार्वजनिक पहुँच और नामांकन।
2.चौदह वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में बनाए रखना।
3.शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार, ताकि सभी बच्चे आवश्यक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

सर्व शिक्षा अभियान (2001) – सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेन्द्रित योजना है। सर्वशिक्षा अभियन, एक निश्चित समयावधि के भीतर सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 86वें संविधान द्वारा 6–14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रुप में, निःशुल्क और अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। यह अभियान पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है। सर्वशिक्षा अभियान जीवन कौशल के साथ गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखता है। यह अभियान बालिका शिक्षा और जरुरतमंद बच्चों पर खास केन्द्रित है।

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य –

- सभी बच्चों के लिए वर्ष 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी, वैकल्पिक विद्यालय, "बैक टू स्कूल" शिविर की उपलब्धता।
- सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
- सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें।
- संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो, पर बल देना।
- स्त्री – पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग – भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना।

प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन0 पी0 ई0 जी0 ई0 एल0):यह कार्यक्रम बालिका शिक्षा की बाधाओं की दूर करने के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में चलाया जा रहा है – इसके

निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

1.जो बालिकायें किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ रही है, उन्हें उनके निवास के निकट में स्थित विद्यालय में प्रवेश दिलाना।
2.ऐसी बालिकाओं को चिन्हित करना जिनका नाम तो विद्यालय में दर्ज है, लेकिन नियमित रुप से स्कूल नहीं जाती है। ऐसी बालिकाओं के अभिभावकों को प्रेरित करना कि वे अपनी पाल्यों को नियमित रुप से पढ़ने के लिए भेजें।
3.जब बालिकाओं का मन पढ़ाई – लिखाई में नहीं लगता और वे विद्यालय आना बन्द कर देती है ऐसी बालिकाओं को चिन्हित करके उन पर विशेष ध्यान देना।
4.पाठ्यक्रम में लिंग संवेदी विषयों को शामिल किया गया आत्म रक्षा, जीवन कौशल, विविध अधिकार जैसे अतिरिक्त विषय पाठ्यक्रम में शामिल है।
5.यह कार्यक्रम महिलाओं एवं समुदाय के ग्राम स्तरीय समूहों के माध्यम से चलाया जा रहा है। वे समूह बालिकाओं के नामांकन उपस्थिति तथा शैक्षणिक उपलब्धियों का सतत रुप से मूल्यांकन करते रहते है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना :–शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में बालिकाओं को कम से कम 8वीं कक्षा तक शिक्षा पूरी कराने के लिए दूसरी बड़ी पहल कस्तूरबा गांधी बलिका विद्यालय योजना है। यह योजना स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त 1997 को प्रारम्भ की गई। 01 अप्रैल 2007 से यह योजना सर्वशिक्षा के एक अंग के रुप में चलाई जा रही है। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

1. नियमित रुप से विद्यालय न जाने वाली किशोरियॉ
2. दस वर्ष से अधिक आयु वाली बालिकाऐं जो प्राथमिक शिक्षा भी पूरी करने में असमर्थ हैं।
3. ऐसे छितरे अधिवासों जो प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के मानक पूरे नहीं करते तथा प्रवासी स्वरुप के समुदायों की बालिकायें।

मिड डे मील योजना –

बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने विद्यालय जाने वाले बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसे मध्यान्ह भोजन नाम दिया गया। यह योजना 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक विद्यालयों में लागु की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराने के साथ – साथ उनके नामांकन तथा नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना था। वर्तमान में प्रत्येक छात्र को दोपहर में पका – पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से ही शिक्षा में सुधार के प्रयास निन्तर किये जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके है। इसी दिशा में वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया।

भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम –

शिक्षा का अधिकार कानून का पूरा नाम 'दि राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एण्ड कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट 2009 है, जिसे संक्षेप में आर0 टी0 ई0 कहा जाता है। शिक्षा का अधिकार वर्तमान स्वरुप में आने से पूर्व अनेक समस्याओं, चुनौतियों एवं परिवर्तनों के दौर से गुजरा है। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश कालीन विधानसभा (इंपीरिकल असेंबली) में शिक्षा के अधिकार की बात कही थी और तब से लेकर आज तक इसे कानून का रुप देने के लिए चरणबद्ध तरीके से अनेक परिवर्तन किए गए। करीब छः दशक के बाद के सफर के बादकेन्द्र सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देकर ऐतिहासिक फैसला लिया।

स्वतन्त्रता के पश्चात से ही शिक्षा भारतीय नीति निर्माताओं एवं योजनाकारों की प्राथमिकता का विषय रहा है। इस दिशा में भारत में समय–समय पर भिन्न – भिन्न स्तरों पर प्रयास होते रहे हैं। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रयास 86वें संविधान संशोधन 2002 में जीवन के अधिकार के तहत मूलभूत अधिकार में 21क शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, जिसमें राज्य 6–14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुलक एवं अनिवार्य शिक्षा देने की नीति को विधि द्वारा अवधारित करेगा। इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर दूसरा निवेशक तत्व रखा गया जिसमें राज्यों को निर्देश दिया कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा का प्रबन्ध करेगा। इसके अतिरिक्त इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51(क) में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ते हुए अभिभावकों पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया कि वह अपने बालक या बालिका को शिक्षा प्रदान करें। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को पारित किया गया और 01 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रुप में शत–प्रतिशत लागु कर दिया गया है।

भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति :–

विश्व स्तर पर आज हमारा भारत देश हर तरह से सम्पन्न और प्रगतिशील माना जाता है। लेकिन इस पूरे प्रगतिशील दौर में आज भी देश में शिक्षा का स्तर अधिक चिंताजनक बना हुआ है। देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के पाँच साल पूरे होने पर भी आज भारत में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार नही हो पाया है। शहरों और महानगरों में जरुर बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति सुधरी हैं, परन्तु दूर–दराज ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं तथा आदिवासी बालिकाओं के लिए स्कूल जाना एक बड़ी चुनौती है।

VOLUME - 7 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2018

महिला साक्षरता दर –

भारत में साक्षरता दर दशकीय (1901 से 2011 तक) प्रतिशत

क्र0 सं0	जनगणना वर्ष	कुल साक्षरता	साक्षरता का प्रतिशत		पुरुष–महिला में
			पुरुष	महिला	साक्षरता दर का अन्तर
1	1901	5.35	9.83	0.60	9.23
2	1911	5.92	10.56	1.05	9.51
3	1921	7.16	12.21	1.81	10.40
4	1931	9.50	15.59	2.93	12.66
5	1941	16.10	24.90	7.30	17.60
6	1951	18.33	27.16	8.86	18.30
7	1961	28.30	40.39	15.33	25.05
8	1971	34.95	45.95	21.67	23.99
9	1981	43.67	56.50	29.85	26.62
10	1991	52.51	64.13	39.29	24.84
11	2001	64.83	75.26	53.67	21.69
12	2011	74.09	82.14	65.46	16.68

स्रोत - हाशिये की आवाज, सितम्बर २०१

आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की साक्षरता दर में तीव्र गति से वृद्धि हुई हैं, किन्तु पुरुषों के शैक्षिक स्तर के अनुपात में यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पीछे हैं, जिसे हर संभव बढ़ाना है। महिलाओं की साक्षरता में वुद्धि हुई है जो 53.67 प्रतिशत (2001 जनगणना) से बढ़कर 65.46 प्रतिशत (2011 जनगणना) है। यद्यपि लिंग अन्तराल (पुरुष–महिला) में साक्षरता दर का अन्तर को कम करना अभी भी चुनौती है, जो मात्र 16.68 प्रतिशत है।

नामांकन स्थिति :– प्राथमिक स्तर पर

तालिका–1 प्राथमिक (कक्षा – 1 से 5) स्तर पर बालिका नामांकन स्थिति

वर्ष	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–2010	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
भारत	47.8	48.1	48.2	48.4	48.5	48.4	48.6	48.8	48.7

स्रोत– एलीमेन्टरी एजूकेशन इन इंण्डिया : टेन्ड्रस 2013–14

तालिका– 2 उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) स्तर बालिका नामांकन स्थिति

वर्ष	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–2010	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
भारत	45.8	46.5	47.0	48.6	48.1	48.4	48.6	48.8	48.7

स्रोत– एलीमेन्टरी एजूकेशन इन इंण्डिया : टेन्ड्रस 2013–14

तालिका– 3 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति लड़कियों की नामांकन स्थिति (प्रतिशत)

	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
वर्ष	2009–10	2010–11	2011–12	2009–10	2010–11	2011–12
भारत	48.45	48.50	48.12	48.13	48.50	48.64

स्रोत : DISE २०११-१२ : Flash statistics

तालिका– 4 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचितजनजाति लड़कियों की नामांकन स्थिति (प्रतिशत)

	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
वर्ष	2009–10	2010–11	2011–12	2009–10	2010–11	2011–12
भारत	48.62	48.53	48.49	47.47	48.16	48.66

स्रोत : DISE 2011-12 : Flash statistics

उपरोक्त तालिका 1, 2, 3 एवं 4 के आंकड़े भी यह संकेत करती है कि भारत में बालिकाओं के स्कूल नामांकन दर में वृद्धि हुई है। वही सामाजिक वर्ग के आधार पर एस0 सी0 / एस0 टी0 जाति की बालिकाओं के नामांकन दर में भी पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है।

तालिका–5 प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2010 – 11 में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर (प्रतिशत)

कक्षा	कुल	लड़का	लड़की
1 से 5 तक	6.50	6.92	6.07
6 से 8 तक	6.56	7.01	6.08

Source : DISE 2011-12 : Flash statistics

उपरोक्त तालिका – 5 से यह स्पष्ट होता है कि बालक – बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आयी है।

निष्कर्ष–

किसी समाज के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है शिक्षा। अंग्रेजों की दासता के दौरान भारत में बालिका शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था जिस कारण स्वतन्त्रता के समय भारतीय महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति बेहद दयनीय थी। इसलिए हमारे संविधान निर्माता ने बालिका शिक्षा के महत्व को समझते हुये संविधान में कई ऐसे प्रावधान किये जिनकी सहायता से भारतीय महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। भारत के संविधान में स्त्रियों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव न करते हुए उन्हें पुरुषों के समान ही बराबर के अधिकार दिये गए हैं। संविधान में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं से संबंधित अधिकार और प्रावधान दिये गए हैं। चाहे संविधान की प्रस्तावना की बात करें या फिर मौलिक अधिकारों की, चाहे बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हो या फिर अन्य सामान्य प्रावधानों की, महिलाओं के लिए हर जगह विशेष प्रावधान दिये गए हैं ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर देश के विकास में भागीदार बन सकें। 2011 की जनमणना के अनुसार भारत में जहां पुरुषों की साक्षरता दर 82 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 63.5 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में यह 55 प्रतिशत से भी कम है। महिला

साक्षरता के हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा है। जहां केवल 51 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं इस परिस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी महिला शिक्षा के लिये विशेष प्रयास करना आवश्यक है। वहीं जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्तर पर 6–14 वर्ष आयु के बच्चों में स्कूल नामांकन दर में 96.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा विद्यालय छोड़ने की दर में कमी भी आयी है, इसके बावजूद भी दुखद तथ्य यह है कि अभी भी 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चों का नामांकन नही हो पाया है।

भारत के जनतंत्र का यह कडवा सच है की शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी शिक्षा में समानता के अवसर उपलब्ध नही करा सके । आज भी दूर–दराज ग्रामीण क्षेत्रो में बलिका शिक्षा की स्थिति दयनीय है । संविधान मे महिला शिक्षा हेतु प्रावधान होने के बावजूद भी उनकी शिक्षा में समाजिक, कुरीतियो, रुढ़िवादिता अन्धविश्वास के रुप में बाधक तत्व विद्यमान है। जिस वजह से महिलाये आज भी पुरुषो की साक्षरता दर से पीछे है तथा शिक्षा से वंचित है। अतः बलिका शिक्षा की ओर ध्यान केन्द्रित करने की अभी भी आवश्यकता है जो शिक्षा और बलिका शिक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

रिफरेन्स–

1. शर्मा, पूजा (2007) बालिका शिक्षा और शैक्षणिक अवधारणाएँ, प्रकाशित दी लिट्रेट मालवीय नगर, जयपुर।
2. पत्रिका, 'हाशिये की आवाज' सितम्बर, 2014।
3. एलीमेन्टी एजूकेशन इन इण्डियाः टेन्डस, 2013–14
४. DISE 2011-12 : Flash statistics